



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टेलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail: sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या-

922

/रा0नि0आ0-3/1452/2023

दिनांक

09 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 (यथासंशोधित) की धारा-8 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010 के नियम 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज अनुभाग की अधिसूचना संख्या-902/XII(1)/26/86 (26) 2016 E-38711 दिनांक 13 जुलाई, 2026 द्वारा अधिसूचित जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-जिला पंचायत, हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर) की जिला योजना समितियों के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या-438659/XII (1)/2026/86(26)2016 E-108751 दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 के क्रम में नीचे विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ:-

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
12 अक्टूबर, 2026 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	13 अक्टूबर, 2026 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	14 अक्टूबर, 2026 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	16 अक्टूबर, 2026 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	16 अक्टूबर, 2026 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई, 2026 में निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के पदों की संख्या देते हुए निर्धारित प्रपत्र-1 पर सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से देवनागरी लिपि में हिन्दी में दिनांक 09.10.2026 को अपराह्न में निर्गत करेंगे और उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्टों में निर्गत सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपका कर प्रदर्शित करायेंगे।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं तद्धीन बनायी गयी "उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010" के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र एवं तत्सम्बन्धी निर्देश आयोग के पत्र संख्या-764/रा0नि0आ0अनु0-3/1452/2026 दिनांक 11 सितम्बर, 2026 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

4. उक्त निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 से रिटर्निंग आफिसर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत स्थान से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

5. मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(सुशील कुमार)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः.....2

संख्या- 922 /रा0नि0आ0-3/1452/202) तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त।
9. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड को संलग्न प्रपत्र-1 सहित।
11. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स के माध्यम से निःशुल्क प्रसारण कराना सुनिश्चित करें।
13. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस अधिसूचना को राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
16. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग/कम्प्यूटर प्रोग्रामर।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

प्रपत्र-1

[नियम 10]

जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

चूंकि जिला.....में जिला पंचायत और नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नानुसार निर्धारित कुल संख्या..... में सदस्य/सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है:-

(क) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र.....से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....

(ख) नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से विभिन्न नगरीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नलिखित हैं:-

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम सम्मिलित नगर निकाय का नाम निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या

1-

2-

3-

4-

अतः मैंनिर्वाचन अधिकारी उक्त निर्वाचन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना देता हूँ-

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

(1) नाम-निर्देशन-पत्र अधोहस्ताक्षरी को(स्थान) पर दिनांक.....से दिनांक.....को.....बजे पूर्वान्ह से.....बजे अपरान्ह तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन -पत्रों की जाँच का काम.....(स्थान) पर दिनांक.....को.....बजे पूर्वान्ह से प्रारम्भ होगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह दिनांक.....को.....बजे पूर्वान्ह से.....बजे अपरान्ह तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है।

(4) यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान(स्थान) पर दिनांक.....को.....बजे पूर्वान्ह से.....बजे अपरान्ह के बीच होगा।

(5) मतगणना(स्थान) पर दिनांकको मतदान समाप्ति के बाद प्रारम्भ की जायेगी

दिनांक.....

पता.....

नाम-निर्देशन-पत्र के प्रपत्र-2 दिनांक.....से दिनांक.....तक.....बजे पूर्वान्ह से.....बजे अपरान्ह तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर का हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक.....

मोहर